न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 47/20 **सन् 2020**

जीसीएमएस संख्या 2020/00096

बउनवानी– मुकेश पुत्र रामअवातर मीना निवासी झोपडा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 92/2020 निर्णय दिनांक 06.08.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री उमाशंकर शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 12.02.2021**

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 92/2020 में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2077 में वाके ग्राम झोपडा तहसील चौथ का बरवाडा की गै.मु. चरागाह की भूमि आराजी ख0न0 1360 रकबा 0.30 पर बाजरा,मूंगफली की फसल काश्तकर एवं मकान बनाकर, अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूॅठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। तथा अपने निर्णय मे क्या फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है अंकित नही किया है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नही किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के [illegible] महरूम हो गया। जहॉ तक अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है [illegible] संस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के कियान्वयन [illegible] नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिकमी नहीं माना [illegible] पर ऐसा कोई साक्ष्य [illegible] जिसके आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में [illegible]खल किया गया हो, इस[illegible] में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

....(1).....

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील संख्या 47/2020)

अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नही माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.09.2020 को पुलिस वाले घर जाने पर घरवालो के बताये जाने पर प्राप्त हुई, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील की अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की स्वंय अपीलान्ट से करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की अपीलान्ट की व्यक्तिशः करवायी गयी तामील से हो जाती है। किन्तु पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर नही की जा सकती है, क्योकि पत्रावली पर अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से पूर्व मे बेदखल किये जानें एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सिविल कारावास के आदेश पारित करने से पूर्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि एवं पूर्ण तथ्यात्मक जॉच रिकार्ड से किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस बाबत ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त किया जाता है। शेष बेदखली व वसूली बाबत पारित आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को लिखवाया [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर